

LOK SABHA

Saturday, 11th May, 1957

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[SPEAKER *protem* (SETH GOVIND DAS) in the Chair.]

MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे सब अब शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं ।

Mr. Speaker: Members who have not taken the oath or made the affirmation may do so now.

- Shri Venkatasubbaiah (Adoni)
- Shri D. P. Singh (Gonda)
- Shri J. Mandal (Khagaria)
- Shri U. S. Malliah (Udipi)
- Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur)
- Shri Sanganna (Koraput-Reserved Sch. Tribes)
- Shri T. N. Singh (Chandauli)
- Shri Halder (Diamond Harbour-Reserved Sch. Castes)

अध्यक्ष महोदय : यदि और कोई सदस्य रह गये हों, जिन का नाम न पुकारा गया हो, वे भी आ सकते हैं ।

Mr. Speaker: Members whose names have not been announced so far can also come and take the oath or make the affirmation. I see none.

POINT RE BULLETIN—PART I

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल

की कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय द्वारा जो विवरण प्रसारित किया गया है, उस की और मैं आप का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । मेरा अभिप्राय "समाचार—भाग १" से है, जिसमें कल की कार्यवाही का सारांश दिया गया है । कल जो मौन का कार्यक्रम हुआ, उस के सम्बन्ध में कहा गया है कि "दूसरी लोक सभा की पहली बैठक के महान अवसर पर सदस्य दो मिनट के लिये मौन खड़े रहें" । यह नितान्त अशुद्ध है । सदस्य लोक सभा की पहली बैठक के.....

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई अशुद्धि है, तो उसे देख लिया जायेगा ।

RE MOTIONS FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिव कुमार चौधरी तथा अन्य दो माननीय सदस्यों ने दो कामरोको प्रस्तावों की सूचना दी है । पहले का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल की खाद्य-स्थिति से तथा दूसरे का पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिये सहायता की व्यवस्था से है । नियमानुसार तो माननीय सदस्य को इस प्रकार के कामरोको प्रस्तावों की सूचना देने का अधिकार है । परन्तु साधारण संसदीय परम्परा यह है कि राष्ट्रपति के संसद् के सम्मुख अभिभाषण से पूर्व भवन में माननीय सदस्यों के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं की जाती । मेरे विचार से इसी परम्परा का अनुसरण करना वांछनीय होगा । अतः मैं अध्यक्ष द्वारा इन दोनों कामरोको प्रस्तावों पर विचार किया जाना उस समय

[अध्यक्ष महोदय]

तक के लिये स्थगित करता हूँ जब तक कि राष्ट्रपति का अभिभाषण न हो जाये। जब सोमवार, १३ मई, को पुनः सदन की बैठक होगी, उस समय माननीय सदस्य को इन दो कामरोको प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा। यह स्थगन माननीय सदस्य के उन अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता, जो कि उन को नियमों के अनुसार प्राप्त हैं।

Mr. Speaker: Shri T. K. Chaudhuri, along with two other hon. Members, has given notice of two adjournment motions, of which the first relates to the food situation in West Bengal and the second relates to the provision of relief to refugees from East Bengal. Technically, under the rules, the hon. Member has got the right to give notice of these two adjournment motions. Normally, the parliamentary convention, however, is that before the President addresses the Parliament, no business other than the taking of oath or affirmation by Members and the election of the Speaker is taken up in the House. I think it is desirable that we should adhere to this convention. I would, therefore, postpone the consideration of these two adjournment motions by the Speaker till after the President's address has been delivered. The hon. Member will be permitted to mention these two Adjournment Motions when the House meets on Monday, the 13th May. This postponement will not in any way affect the right under the rules.

Shri T. K. Chaudhuri (Berhampore): On a point of personal explanation, I have to submit that in giving notice of these two motions, I had no other purpose in view but to stress the urgency of the matter mentioned in the motions. I sought guidance from the Rules of Procedure. Unfortunately, the rules were not very clear. I submit to your ruling and agree to the postponement of the motions.

ELECTION OF SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : श्री जवाहरलाल नेहरू भव सभा प्रस्ताव पेश करेंगे।

Mr. Speaker: Shri Jawaharlal Nehru may now move the motion standing in his name.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): Sir, I beg to move:

"That Shri M. Ananthasayanam Ayyangar, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य नारायण सिन्हा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

Mr. Speaker: Shri Satya Narayan Sinha may second the motion.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I second the motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ कि श्री म० अनन्तशयनम अय्यंगर को जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That Shri M. Ananthasayanam Ayyangar, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि श्री म० अनन्तशयनम अय्यंगर को जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जावे।

Mr. Speaker: The question is:

"That Shri M. Ananthasayanam Ayyangar, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

अध्यक्ष महोदय : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे "हाँ" कहें और जो विपक्ष में हों वे "नहीं" कहें।